

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग - 2

संख्या - कोनि० -2 - 844/ ग्यारह -9 (47)/17 - 30 प्र० अधि० -1 -2017 -आदेश (11)-2017

लखनऊ : दिनांक: 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित ऐसी सेवा प्रवर्ग की पूर्ति पर, जिनकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाएगा :--

सारणी

क्रम०स०	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का पूर्तिकार	सेवा का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किसी माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल के सड़क द्वारा निम्नलिखित को परिवहन की बाबत सेवाओं की पूर्ति - (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) के अधीन या उसके द्वारा शासित रजिस्ट्रीकृत किसी भी कारखाने को ; या (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य	माल परिवहन अभिकरण (जीटीए)	(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) के अधीन या उसके द्वारा शासित रजिस्ट्रीकृत किसी भी कारखाने को ; या (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी

	विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या (घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या (ङ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को ; या (च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है ; या (छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति ।	सोसाइटी को ; या (घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के अधिनियम अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या (ङ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को ; या (च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है ; या (छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति।
2	किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष	कोई व्यष्टिक अधिवक्ता जिसमें कोई वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मिलित हो या अधिवक्ताओं की फर्म कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।

	प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।		
3	किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्णित सेवाएं ।	कोई माध्यस्थम् अधिकरण	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।
4	किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं ।	कोई भी व्यक्ति	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म ।
5	किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,- (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न किसी व्यक्ति को दी गई सेवाएं ; (ii) किसी पत्तन या किसी विमानपत्तन की प्रसीमाओं के भीतर या बाहर किसी वायुयान या जलयान के संबंध में सेवाएं ; (iii) माल या यात्रियों का	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।

	परिवहन ।		
6	किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय के निदेशक द्वारा उक्त कंपनी या निगमित निकाय को पूर्णित सेवाएं ।	किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय का कोई निदेशक	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कंपनी या निगमित निकाय ।
7	किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा कारबार करने वाले किसी व्यक्ति को पूर्णित सेवाएं ।	कोई बीमा अभिकर्ता	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति, जो बीमा कारबार कर रहा है ।
8	किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को पूर्णित सेवाएं ।	कोई वसूली अभिकर्ता	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी ।
9	किसी लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य द्वारा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आने वाले मूल साहित्यिक, नाट्य, संगीत संबंधी या कला संबंधी कार्यों से संबंधित प्रतिलिप्यधिकार का किसी प्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और उसी प्रकार के अन्य द्वारा उपयोग या उपभोग का अंतरण करने या उसकी अनुज्ञा देने के रूप में सेवाओं की पूर्ति ।	लेखक, या संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई प्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और उसी प्रकार के अन्य ।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

(क) कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित माल वाहक में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए किराए का संदाय करने का दायी है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सेवा प्राप्त करता है ।

(ख) "निगमित निकाय" का वही तात्पर्य है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में समनुदेशित है ।

(ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो यथास्थिति, मुकदमेबाज, आवेदक या याची है, ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है ।

(घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं हैं, किंतु केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में उनका है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,



(एस० राजलिंगम)

विशेष सचिव